चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 05.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा पटौनी में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना बहिलपुरवा द्वारा सेमरदहा में,थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कस्बा कर्वी में,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कांत राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली कर्वी पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

1. अभि उर्फ कृष्णा पुत्र संतोष कुमार लोधी निवासी नई बाजार खागा, थाना खागा, जनपद फतेहपुर
2. अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 रामनरेश सिंह निवासी सरसई बुजुर्ग खागा, थाना खागा, जनपद फतेहपुर
3. जोगेन्द्र सिंह उर्फ गोपाल पुत्र श्यामसुंदर चौधरी निवासी सिहारी, थाना माधवगढ़, जनपद जालौन

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को उ0नि0 श्री रमेश कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी, उ0नि0 श्री रमेश मिश्रा प्रभारी चौकी शिवरामपुर एवं एसओजी टीम के उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह अपनी-अपनी टीमों के साथ क्षेत्र में अपराध एवं सक्रिय अपराधियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि देवांगना तिराहे के पास यात्री प्रतीक्षालय में कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा भागने का प्रयास कर रहे 03 व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम 1. अभि उर्फ कृष्णा पुत्र संतोष कुमार लोधी निवासी नई बाजार खागा, थाना खागा, जनपद फतेहपुर, उम्र 21 वर्ष, 2. अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 रामनरेश सिंह निवासी सरसई बुजुर्ग खागा, थाना खागा, जनपद फतेहपुर, उम्र 19 वर्ष तथा 3. जोगेन्द्र सिंह उर्फ गोपाल पुत्र श्यामसुंदर चौधरी निवासी सिहारी, थाना माधवगढ़, जनपद जालौन, उम्र 20 वर्ष बताया।

पूछताछ एवं चोरी की घटनाओं का अनावरण-

गहन पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे तीनों मिलकर बंद मकानों को निशाना बनाते थे तथा लोहे की रॉड से ताला तोड़कर घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तों ने जनपद चित्रकूट के कर्वी एवं शिवरामपुर क्षेत्र में चोरी की 04 घटनाओं में संलिप्त होना स्वीकार किया।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 27/28 अक्टूबर 2026 की रात्रि में बैंक के सामने कर्वी स्थित एक बंद मकान में चोरी, दिनांक 11.09.2026 की शाम लैना बाबा रोड शिवरामपुर स्थित बंद मकान में चोरी, दिनांक 09/10 अक्टूबर 2026 की रात्रि लैना बाबा रोड शिवरामपुर में एक अन्य बंद मकान में चोरी तथा अप्रैल 2026 में कच्ची छावनी क्षेत्र में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया गया।

अभियुक्तों ने बताया कि चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को आभूषण साफ करने वाले फेरी वालों से गलवाकर टिक्की एवं सिल्ली के रूप में परिवर्तित करा लिया था, जिससे उन्हें आसानी से बेचा जा सके। चोरी किए गए माल को आपस में बांट लिया गया था तथा कुछ माल बेच दिया गया था।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों के कब्जे एवं उनकी निशानदेही पर निम्नलिखित सामान बरामद किया गया है—

सफेद धातु की सिल्ली – 02 अदद (कुल वजन लगभग 488.71 ग्राम)

पीली धातु की टिक्की – 03 अदद (कुल वजन लगभग 26.82 ग्राम)

पीली धातु की नाक की कील – 01 अदद

सफेद धातु की पायल – 03 अदद

सफेद धातु की बिछिया – 01 जोड़ी

लोहे की रॉड – 03 अदद (चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त)

नकद धनराशि – ₹5,600/-

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मोटरसाइकिल – 01 अदद (घटनाओं में प्रयुक्त)

मोबाइल फोन – 03 अदद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में पंजीकृत निम्नलिखित अभियोगों का अनावरण किया गया है—

मु0अ0सं0 661/26 धारा 331(4), 305(क), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस।

मु0अ0सं0 560/26 धारा 331(3), 331(4), 305(क), 317(4), 3(5) बीएनएस।

मु0अ0सं0 637/26 धारा 331(4), 305(क), 317(4), 3(5) बीएनएस।

मु0अ0सं0 299/26 धारा 331(4), 305, 317(4), 3(5) बीएनएस।

गिरफ्तार अभियुक्त अभि उर्फ कृष्णा एवं अभिषेक सिंह का आपराधिक इतिहास भी प्रकाश में आया है। दोनों के विरुद्ध थाना खागा जनपद फतेहपुर में मु0अ0सं0 503/25 धारा 305 बीएनएस एवं मु0अ0सं0 003/26 धारा 305 बीएनएस पूर्व से पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली एसओजी टीम-

1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह

2.आरक्षी रोशन सिंह

3.आरक्षी गोलू भार्गव

4.आरक्षी पवन राजपूत

5.आरक्षी जयनारायण पटेरिया

6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कर्वी पुलिस टीम -

1.उ0नि0 श्री रमेश कुमार सिंह, थाना कोतवाली कर्वी।

2.उ0नि0 श्री रमेश मिश्रा, प्रभारी चौकी शिवरामपुर।

3.आरक्षी प्रांशु सिंह।

4. आरक्षी विपिन।

5.आरक्षी दुर्गेश।

(3)दीपावली सोमवती अमावस्या मेला को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से मंडलायुक्त,चित्रकूटधाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक,चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, बांदा श्री राजेश एस. द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलिकत गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार की उपस्थिति में मेला ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विस्तृत ब्रीफिंग की गई।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पितृ विसर्जनी अमावस्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान एवं दर्शन हेतु आते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं सुगम दर्शन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर समय से तैनात रहकर पूर्ण सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करें। ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश:

1. सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपने पास वायरलेस हैंडसेट एवं लाउड हेलर अवश्य रखें, जिससे आपात स्थिति में त्वरित संवाद स्थापित किया जा सके।

2. सभी जोनल एवं सेक्टर प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की उपस्थिति एवं कार्यशैली का निरीक्षण करें।

3. स्नान घाटों, मंदिर परिसरों, पार्किंग एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जाए।

4. महिला श्रद्धालुओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

5. यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराया जाए।

मेला सुरक्षा व्यवस्थाः

मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु सम्पूर्ण पुलिस बल को 08 जोन एवं 22 सेक्टर में विभक्त किया गया है। तैनात बल का विवरण निम्नवत हैः

- अधिकारीगण : 16 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 22 प्रभारी निरीक्षक,39 निरीक्षक, 269 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस,21 महिला उपनिरीक्षक, 09 उपनिरीक्षक यातायात, 06 उपनिरीक्षक एलआईयू

- कर्मचारीगण : 1082 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल नागरिक पुलिस, 155 महिला कांस्टेबल, 117 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 32 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल एलआईयू

- विशेष बल : 02 डॉग स्क्वायड, 01 बीडीएस टीम, 03 एसचेक टीम, पीएसी की 03 कम्पनी, फ्लड कंपनी की 02 प्लाटून,एसडीआरएफ 01,फायर टेण्डर -05,एचएचएमडी -22 ,हाइड्रा 01

इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव एवं मेला ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने अंत में सभी को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय एवं तत्परता के साथ कार्य कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुखद दर्शन उपलब्ध कराया जाए।

दीपावली मेले की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त,चित्रकूटधाम मंडल बांदा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक,चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, बांदा द्वारा आगामी अमावस्या, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा मेले के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट स्थित रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, कामदगिरि परिक्रमा मार्ग, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, रैन बसेरा, बैरियर एवं सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था सहित रामायण मेला परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

(4).आज दिनाँक 04.11.2026 को दीपावली मेले की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त,चित्रकूटधाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक,चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, बांदा श्री राजेश एस. द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलिकत गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार की उपस्थिति में आगामी अमावस्या, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा मेले के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट स्थित रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, कामदगिरि परिक्रमा मार्ग, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, रैन बसेरा, बैरियर एवं सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था सहित रामायण मेला परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर जनपद चित्रकूट में आयोजित होने वाले दीपावली मेले में लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा श्री अजीत कुमार ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बाँदा के साथ आज रामघाट, परिक्रमा मार्ग, स्थायी एवं अस्थायी रैन बसेरों तथा पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंदाकिनी नदी के घाटों पर पत्थर लगाने, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने एवं प्रकाश व्यवस्था के कार्य प्रगतिरत पाए गए। आयुक्त महोदय ने घाट पर पत्थर लगाने के कार्य में अतिरिक्त श्रमिक लगाकर कार्य की गति बढ़ाने तथा समस्त अवशेष कार्य दीपावली मेले से पूर्व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। रामघाट एवं प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग करते हुए श्रद्धालुओं की कतारें जिग-जैग पद्धति से व्यवस्थित की जाएं। घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि खोया-पाया केन्द्र, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पीए सिस्टम) एवं मेला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहें। मेला क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय टीम एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

(6)पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री

अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार आरक्षी अजय कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 06.11.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 103/19 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त घनश्याम निषाद पुत्र छेदीलाल निवासी अमानपुर सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 दिवस का कारावास व 1250/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।